प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय जबलपुर

दांडिक अपील क्रमांक 1338/2000

अपीलार्थीगण – 1– शिवकुमार पुत्र इतवारी सिन्हा,
(जेल में) उम्र 28 वर्ष, मजदूर।
2– विष्णु पुत्र इतवारी सिन्हा
उम्र 25 वर्ष, कृषक।
3– कन्हैया, पुत्र इतवारी सिन्हा
उम्र 20 वर्ष, मजदूर।
सभी निवासी ग्राम अर्जुनी,
पुलिस थाना डोंगरगांव,
जिला राजनांदगांव, म.प्र.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरूद्ध

उत्तरवाादी – मध्य प्रदेश राज्य.

<u>उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)</u>

<u>युगल पीठ</u>

<u>दांडिक अपील क्रमांक 1338/2000</u>

शिवकुमार और दो अन्य

बनाम–

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

.....

निर्णय के लिए विचार

एसडी/–

दिलीपरावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति एल.सी. भादू

एसडी/–

एल.सी.भादू

न्यायाधीश

निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक : 1 जुलाई 2005

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

दांडिक अपील क्रमांक 1338/2000

शिवकुमार और दो अन्य

बनाम–

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

उपस्थित: –

श्री अभय तिवारी, अधिवक्ता: अपिलार्थियो की ओर से।

श्री सचिन सिंह राजपूत, पैनल अधिवक्ता : राज्य/प्रतिवादी की ओर से।

युगल पीठ

माननीय श्री एल.सी. भादू एवं

माननीय श्री दिलीप आर. देशमुख, न्यायमूर्तिगण

निर्णय

(11 जुलाई, 2005 को उदघोषित)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायमूर्ति दिलीप आर. देशमुख द्वारा सुनाया गया:–

1. अपिलार्थियो ने इस अपील में श्री एच.आर. अगवान, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव द्वारा सत्र परीक्षण क्रमांक 140/98 में पारित दिनांक 28–04–2000 के निर्णय द्वारा अपनी दोषसिद्धि और दी गई सजा को चुनौती दी है।

2. सभी अपिलार्थियो को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, श्यामाचरण सोनी की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ धारा 34 के तहत वैकल्पिक रूप से तीन साल के कारावास और प्रत्येक को 2,000/– रुपये का जुर्माना, जुर्माना न चुकाये जाने के व्यतिक्रम पर प्रत्येक को नौ महीने के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। अपिलार्थियो को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत भी दोषी ठहराया गया है, साथ ही धारा 34 के तहत रमेश चंद्र सोनी की हत्या के प्रयास के लिए पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई है और

प्रत्येक को 1000/– रुपये का जुर्माना भरना होगा, जुर्माना न चुकाने के व्यतिक्रम पर प्रत्येक को छह महीने के लिए सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी। अपिलार्थियो को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत, वैकल्पिक रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के साथ धारा 34 के तहत कैंची से स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया गया है। श्यामाबाई को एक वर्ष के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है और प्रत्येक को 500/– रुपये का जुर्माना भरना होगा, जुर्माना न भरने पर एक वर्ष के लिए अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी। अपीलार्थी शिवकुमार को मनोज कुमार को सड़क पर गलत तरीके से रोकने और मनोज कुमार और रमेश चंद्र सोनी को मामूली चोट पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323 ए के तहत भी दोषी ठहराया गया है और उन्हें क्रमशः एक महीने, तीन महीने और फिर तीन महीने के लिए साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया हैं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थीगण शिवकुमार, विष्णु और कन्हैया दोषमुक्त हो चुकी आरोपी विमलाबाई के भाई और बेटे हैं। मृतक श्यामाचरण सोनी, रमेश सोनी (अ.सा.–1) और हरिचरण सोनी (अ.सा.–3) श्यामाबाई (अ.सा.–2) के बेटे हैं। अपीलार्थीगण एवं उपर्युक्त गवाहों के घर ग्राम अर्जुनी, पुलिस थाना डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव में सड़क के दोनों ओर हैं।

4. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि घटना से एक दिन पहले यानी दिनांक 29–06–1998 को डॉ. मनोज कुमार, रमेश चंद्र सोनी (अ.सा.–1) के साथ अर्जुनी गांव स्थित अपने क्लिनिक में बैठे थे। शाम को अपीलार्थी शिवकुमार शराब के नशे में क्लीनिक पर आया और कुर्सी को उल्टा फेंक दिया तथा रमेश चंद्र सोनी से कुर्सी उठाने को कहा, जिस पर रमेश चंद्र सोनी ने कुर्सी उठा ली। अपीलार्थी शिवकुमार ने पुनः कुर्सी फेंकी और आदेश दोहराया, जिस पर रमेश सोनी ने पुनः कुर्सी उठा ली। हालांकि, जब अपीलार्थी शिवकुमार ने तीसरी बार यही हरकत दोहराई तो रमेश सोनी ने कुर्सी उठाने से इनकार कर दिया, जिस पर हाथापाई हो गई। घटना की रिपोर्ट रमेश सोनी द्वारा दिनांक 29–6–1998 को रात्रि 8.10 बजे रोजनामचा सनहा क्रमांक 69 एक्सपी–37(ए) के तहत पुलिस थाना डोंगरगांव में

दर्ज कराई गई। रमेश चंद सोनी को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. जी एल सराफ (अ.सा.–8) ने उसकी जाँच की और पाया कि (i) दाहिने अंगूठे के आधार पर 0.2 x 0.2 सेमी का घर्षण है: (ii) दाहिने हाथ की चौथी उंगली पर 2x1 सेमी का घर्षण है; और (iii) बाएं पैर के मध्य भाग पर 1x1 सेमी का घर्षण है।

5. अगले दिन यानी दिनांक 30–6–1998 को सुबह 6 से 6.30 बजे के बीच जब डॉ. मनोज बढ़ाई अपनी हीरो पुक पर सवार होकर लौट रहे थे, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर एमपी–24/ईएफ–6232 था, आरोपी शिवकुमार ने उन्हें उनके घर के पास सड़क पर रोक लिया और लाठी–डंडों से उन पर हमला कर दिया। परगियाबाई (अ.सा.–6) जो अपने घर के सामने बर्तन साफ कर रही थी, मनोज (जिसे बंगाली डॉक्टर के नाम से जाना जाता है) पर शिवकुमार ने हमला किया और चिल्लाया । उसकी चीखें सुनकर श्यामाचरण, जिसका घर उसके नजदीक ही था, बीच–बचाव करने गया, जिस पर शिव कुमार ने श्यामाचरण पर हमला कर दिया। श्यामाबाई ने चिल्लाने की आवाज सुनकर देखा कि श्यामाचरण डॉक्टर के पास जा रहा था और उसने अपने बेटे रमेश सोनी (अ.सा.–1) से पूछा कि क्या हो रहा है और फिर अपने दूसरे बेटे हरिचरण (अ.सा.–3) को जगाने के लिए घर के अंदर चली गई। वह और रमेश सोनी ने अपीलार्थी शिवकुमार को श्यामाचरण पर लाठी से हमला करते हुए देखा और बीच–बचाव करने गए। यह देखकर अपीलार्थी विष्णु, कन्हैया क्रमशः कैंची और लोहे की पाइप से लैस होकर अपने घर से भागकर आए। अपीलार्थी विष्णु ने श्यामाचरण के सीने के दाहिने हिस्से पर कैंची से वार किया और बाएं ऊपरी बांह और अग्रबाहु के पिछले हिस्से पर और चोटें पहुंचाईं। अपीलार्थी शिवकुमार ने श्यामाचरण के सीने के दाहिने हिस्से पर लाठी से हमला किया। जब रमेश (अ.सा.–1) और श्यामाबाई (अ.सा.–3) ने हस्तक्षेप किया तो अपीलार्थी विष्णु ने रमेश पर कैंची से हमला किया और उसके बाएं हाथ, बाएं पैर, दाहिने पैर और बाएं जांघ पर चोटें पहुंचाईं। जब वह जमीन पर गिरे रमेश सोनी की गर्दन पर एक और चोट पहुंचाने वाला था, श्यामाबाई ने रमेश सोनी को ढक दिया, जिससे श्याममाबाई के सिर पर पार्श्विका क्षेत्र में एक गहरा घाव हो गया। अपीलार्थी कन्हैया ने श्यामाचरण और रमेश सोनी पर लोहे की छड़ से भी हमला

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

किया। इसी समय श्यामाबाई के पुत्र हरिचरण सोनी (अ.सा.–3), भी मौके पर पहुंचा और अपीलार्थी विष्णु को जमीन पर धक्का दे दिया। इस घटना को कृष्ण कुमार देवांगन और कुंवारिया बाई ने भी देखा।

6. श्यामाचरण और रमेश सोनी को हरिचरण (अ.सा.–3) और श्यामाबाई (अ.सा.–2) द्वारा जिला अस्पताल, राजनांदगांव में स्थानांतरित कर दिया गया। श्यामाचरण की अस्पताल में उसी दिन चोटों के कारण मौत हो गई। इस संबंध में सूचना प्रदर्श.पी–2 हरिचरण सोनी (अ. सा.–3) द्वारा पुलिस थाना में दी गई, दिनांक 30–6–1998 को प्रातः 9 बजे देहाती नालिशी प्रदर्श.पी–1 बी.एल. धरगांव, निरीक्षक (अ.सा.–19) द्वारा लिखी गई। अपराध थाना राजनांदगांव में प्रदर्श.पी–17 के तहत पंजीकृत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दिनांक 30–6–1998 को दोपहर 12.40 बजे श्यामाचरण के शव का चिकित्सीय परीक्षण डॉ. हरीश कुमार जोशी (अ.सा.–9) द्वारा किया गया, जिसमें श्यामाचरण के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं; –

i) छाती के दाहिनी ओर, चौथी इंटर कोस्टल स्पेस के ऊपर 3.5 सेमी पार्श्व में एक छेदक चोट, उरोस्थि के मार्जिन तक, फ्यूसी–फॉर्म आकार लंबाई–1 सेमी, चौड़ाई–2 सेमी, त्वचा प्रावरणी के माध्यम से प्रवेश; पेशी पेरीकार्डियम हृदय के ऊपरी दाहिने गुहा में इसकी पोस्टरो पार्श्व दीवार के माध्यम से प्रवेश चौड़ाई 8.5 सेमी। हृदय में उद्घाटन मूसल मटर के आकार का;

ii) बाएं ऊपरी भुजा पर कंधे के जोड़ के सामने की ओर 4" नीचे हड्डी तक गहराई में एक छेदक चोट, 2 सेमी. लंबी 1 सेमी. चौड़ी;

iii) छाती के दाहिनी ओर 7 वीं पसली के स्तर पर एक चोट, 2.5 सेमी. मध्य से मध्य निप्पल रेखा तक गोलाकार, 1.5 सेमी. व्यास, मुलायम;

iv) बाएं घुटने के जोड़ के अग्र भाग पर एक घर्षण, मूसल मटर के आकार और आकृति;

v) अग्रबाहु के पीछे के भाग पर एक फटा हुआ घाव, दाहिनी कोहनी के जोड़ के नीचे 1.3 सेमी. मूसल मटर के आकार का, भरा हुआ खून मौजूद है; तथा

vi) दाहिने टखने के जोड़ पर शिरापरक खंड का निशान, चिकित्सा पहलू, उस पर पट्टी।

विच्छेदन से पता चला कि हृदय के दाहिने कक्ष में गहरी चोट लगी थी, जिससे श्यामाचरण की मृत्यु हो गई। जो चोटें आईं, वे मृत्यु–पूर्व थीं।

8. रमेशचंद्र सोनी को भी दिनांक 30–06–1998 को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. वाई.के. तिवारी (अ.सा.–18) ने उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं।

i). बायीं छाती पर 1" x 1" x ½" कटा हुआ घाव

ii) बायीं ओर अर्थात मध्य में 1/3 1" x 1/2" x 1/4" पर चीरा हुआ घाव

iii) दाहिने पैर पर 1/3 1" x 1/4" x 1/4" से कटा हुआ घाव

iv) बायीं जांघ के पीछे की ओर 1" x 3/4" 1/2"कटा हुआ घाव

v) हाथ में 1/4"x1/4" का घर्षण तथा रक्त का थक्का।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डॉ. तिवारी (अ.सा.–18) की विचार में चोट संख्या 1 गंभीर प्रकृति की थी जबकि अन्य चोटें सामान्य थीं। सभी चोटें 24 घंटे के भीतर तेज धार वाले हथियार से लगी थीं।

9. श्यामाबाई (अ.सा.–2) की भी दिनांक 30–06–1998 को डॉ. वाई. के. तिवारी द्वारा परीक्षण किया गया, जिन्होंने खोपड़ी के दाहिने पार्श्विका क्षेत्र में 2" x 1 1/2" का एक कटा हुआ घाव पाया, जो 24 घंटे के भीतर किसी नुकीली वस्तु के कारण हो सकता है। उसी दिन मनोज कुमार के बाएं हाथ का प्रदर्श–रे लिया गया, जिसमें शरीर पर कोई चोट नहीं दिखी।

10. उपनिरीक्षक बी. एल. धरगांव (अ.सा.–19) ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद तथा मृतक श्यामाचरण के शव को जिला अस्पताल, राजनंदगांव की जीप में रखकर पंचनामा प्रदर्श.पी–28 दिनांक

30–06–1998 को तैयार किया। मनोज कुमार उर्फ डॉक्टर तथा हरिचरण सोनी को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. मिस के. गंगाजलिवाले (अ.सा.–14) ने मनोज कुमार की परीक्षण किया और उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं।(i) बाएं हाथ पर सूजन और कोमलता, साथ ही अंगूठे की गति में प्रतिबंध; (ii) बाएं घुटने पर सूजन के साथ 8 x 3 सेमी. का लाल रंग का घाव,;(iii) दाहिने हाथ की तीसरी उंगली पर 4 x 1 सेमी. का खरोंच; तथा(iv) पीठ पर बायीं ओर 8 x 3 सेमी. लाल रंग का खरोंच। उन्होंने दिनांक 30–06–1998 को हरिचरण सोनी के बाएं हाथ की कलाई पर 2 सेमी x 1 सेमी का एक खरोंच भी पाया।

11. अन्वेषण आगे बढ़ी. दिनांक 30–06–1998 को उप निरीक्षक के. पी. बंजारे (अ.सा.–15) ने प्रदर्श.पी.–3 के अनुसार घटनास्थल का नक्शा तैयार किया तथा प्रदर्श.पी.–4 के अनुसार घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी तथा सादी मिट्टी जब्त की। सड़क के पास घटनास्थल पर पड़ी हीरो पुच क्रमांक एमपी–24/ईएफ–6232 को भी प्रदर्श.पी–5 के तहत दिनांक 30–06–1998 को जब्त किया गया। मृतक श्यामाचरण के घर के पास से दिनांक 30–06–1998 को प्रदर्श. पी–6 के तहत एक सैंडो, बनियान, एक तौलिया और एक कथरी जब्त की गई, जिन पर खून के धब्बे थे। अपीलार्थी विष्णु से पूछताछ की गई और उसके ज्ञापन प्रदर्श.पी–8 पर उपनिरीक्षक के.पी. बंजारे ने विष्णु के घर से एक पुरानी जंग लगी लोहे की कैंची बरामद की, जिसकी लंबाई 10 इंच थी और उस पर खून के धब्बे थे, जिसे अपीलार्थी विष्णु ने प्रदर्श पी–7 में प्रस्तुत किया था। दिनांक 01–07–1998 को रात्रि लगभग 11 बजे अपीलार्थी शिवकुमार के पास से एक फुल पैंट और एक शर्ट उतरवाकर प्रदर्श.पी–10 के अनुसार जब्त कर ली गई। अपीलार्थी कन्हैया के पास से एक लोहे की पाइप जो 46" लम्बी और 1/2" व्यास की थी, प्रदर्श.पी–11 के अनुसार जब्त कर ली गई तथा उसके द्वारा पहनी गई एक जींस की फुल पैंट जिस पर खून के धब्बे थे, प्रदर्श.पी–12 के अनुसार जब्त कर ली गई। शिवकुमार के प्रदर्श.पी–16 के अनुसार अपीलार्थी शिवकुमार के पास से एक लाठी जिसकी लम्बाई 47" खून के धब्बे थे, प्रदर्श.पी–13 के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अनुसार जब्त कर ली गई। दिनांक 01–07–1998 को अपीलार्थी विष्णु के पास से पहनी गई एक जींस की फुल पैंट और खून के धब्बे वाले एक बनियान उतरवाकर प्रदर्श.पी–14 के अनुसार जब्त कर ली गई।

12. अपिलार्थियो को दिनांक 02–07–1998 को प्रदर्श.पी–33, 34 और 35 के तहत गिरफ्तार किया गया था। जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण किया के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया था, जिसने रिपोर्ट प्रदर्श.पी–36 के अनुसार पाया कि बरामद और जब्त की गई वस्तुओं पर खून जैसे धब्बे मौजूद थे। जैसे, अपीलार्थी विष्णु की निशानदेही पर कैंची, अपीलार्थी शिवकुमार की निशानदेही पर लाठी और अपीलार्थी कन्हैया से लोहे की पाइप जब्त की गई। अपीलार्थी विष्णु से जब्त बनियान पर भी खून जैसे धब्बे पाए गए। अपिलार्थियो शिवकुमार और कन्हैया से जब्त कपड़ों पर खून के धब्बे नहीं पाए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अन्वेषण पूर्ण होने के बाद, अपिलार्थियो और विमलाबाई पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के साथ् धारा 34 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव द्वारा मामले को दिनांक 28–09–1998 को सौंपने पर, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 302, वैकल्पिक रूप से धारा 302 के साथ् धारा 34, धारा 307, वैकल्पिक रूप से धारा 307 के साथ् धारा 34 , धारा 324, वैकल्पिक रूप से धारा 324 के साथ् धारा 34 के तहत आरोप विरचित किया गया, अपिलार्थियो शिवकुमार और कन्हैया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 341, 323, वैकल्पिक रूप से धारा 323 के साथ् धारा 34 के तहत आरोप, दिनांक 29–06–1998 को रमेश सोनी को जानबूझकर चोट पहुँचाने के लिए अपीलार्थी शिवकुमार के खिलाफ़ मामला दर्ज किया गया। अपिलार्थियो ने अपने अपराध से इनकार कर दिया। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 19 गवाहों का परिक्षण किया। बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का अवलम्ब लेते हुए विचारण न्यायालय ने अपिलार्थियो को दोषी ठहराया जैसा कि पैराग्राफ 2 में दिखाया गया है जबकि अपिलार्थियो की माँ अभियुक्त विमलाबाई को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

14. अपिलार्थियो के विद्वान अधिवक्ता ने इस मामले में आक्षेपित निर्णय पर आपत्ति जताई है कि महत्वपूर्ण चक्षुदर्शियों तथा घायल डॉ. मनोज की चिकित्सीय परीक्षण न किए जाने से अभियोजन पक्ष के साक्ष्य संदिग्ध हो जाते हैं। रमेश सोनी (अ.सा.– 1) श्यामाबाई (अ.सा.–2) और हरिचरण सोनी (अ.सा.–3) की गवाही पर विचारण न्ययालय को अवलम्ब नहीं लेना चाहिए थाा, क्योंकि यह गुणवत्ता में अच्छी नहीं थी और चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा समर्थित भी नहीं थी। यह भी तर्क दिया गया कि अपिलार्थियो शिवकुमार और कन्हैया का श्यामाचरण की हत्या करने या रमेश सोनी की हत्या का प्रयास करने तथा श्यामाबाई पर धारदार हथियार से चोट पहुंचाने का कोई समान आशय अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से नहीं बनता। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपिलार्थियो को दिनांक 02–07–1998 को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया था। अपिलार्थियो को घटना के दौरान चोटें आई थीं, जो डॉ. रामटेके (अ. सा.–11) के अनुसार 24–48 घंटों में गायब हो सकती थीं। इन चोटों के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला संदिग्ध हो गया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मनोज कुमार उर्फ डॉक्टर को विचारण न्यायालय के समक्ष गवाही के लिए पेश नहीं किया जा सका और इसलिए अभियोजन पक्ष के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मृतक श्यामाचरण के साथ–साथ रमेश कुमार और श्यामाबाई को लगी चोटें अपीलार्थी विष्णु के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 324 के तहत अपराध को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित करती हैं और इन घायल गवाहों की गवाही पूरी तरह से विश्वसनीय थी, जिससे यह सिद्ध हुआ कि अपिलार्थियो शिवकुमार और कन्हैया ने भी अपिलार्थियो के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने में भाग लिया था, और इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा उन पर अधिरोपित दंड कानूनी दृष्टि पर आधारित थी और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। उन्होंने विचारण न्यायालय के फैसले का समर्थन किया और प्रार्थना की कि अपील खारिज करने योग्य है।

16. हमने प्रतिद्वंद्वी तर्क पर विचार किया है और हमने विचारण न्यायालय के अभिलेख का भी बारीकी से अवलोकन किया है। हम सबसे पहले उस घटना पर विचार करेंगे, जो दिनांक 29–06–1998 को डॉ. मनोज कुमार के क्लिनिक में घटित हुई थी। रमेशचंद्र सोनी (अ.सा.–1) ने कहा है कि जब वे दिनांक 29–06–1998 को शाम लगभग 7 बजे डॉ. मनोज के क्लिनिक में बैठे थे, तो अपीलार्थी शिवकुमार नशे की हालत में क्लिनिक के अंदर आया, कुर्सी को नीचे धकेल दिया और उससे इसे वापस उठाने के लिए कहा, जब उसने ऐसा किया, तो उसने फिर से कुर्सी को नीचे धकेल दिया और फिर से उससे इसे उठाने के लिए कहा, उन्होंने फिर कुर्सी उठा ली। तीसरी बार जब अपीलार्थी ने फिर कुर्सी नीचे धकेली तो उन्होंने इसे उठाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और इस दौरान अपीलार्थी शिवकुमार ने उनका गला पकड़ लिया और उनके बीच हाथापाई हो गई। रमेश सोनी द्वारा दिनांक 29–06–1998 को दर्ज कराए गए रोजनामचा सनहा संख्या 698, प्रदर्श.पी–37(ए) को प्रधान सिपाही भैयालाल पटेल (अ.सा.–16) द्वारा सिद्ध किया गया है – रमेश सोनी की चोट की रिपोर्ट दिनांक 29–06–1998 प्रदर्श.पी–21 को डॉ. जी. एल. सराफ (अ.सा.–8) द्वारा सिद्ध किया गया है, जिससे पता चलता है कि उसके दाहिने अंगूठे, दाहिने मध्यमा उंगली और बाएं पैर के बीच में तीन बहुत ही सतही खरोंच थे। इस प्रकार, दिनांक 29–06–1998 को मनोज के क्लिनिक में अपीलार्थी शिवकुमार द्वारा पहुंचाई गई चोटों के संबंध में रमेश सोनी (अ.सा.–1) की गवाही का खंडन नहीं किया गया है और चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी शिवकुमार ने अपना बदला चुकता करना चाहा और दिनांक 30–06–1998 को रमेश सोनी पर हमला किया, जो इस अनुमान को भी पुष्ट करता है कि यह दिनांक 29–06–1998 की घटना का बदला लेने के लिए था जिसमें रमेश सोनी ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया था जिसके बाद हाथापाई हुई थी। इस प्रकार, यह पूरी तरह से स्थापित है कि दिनांक 29–06–1998 को अपीलार्थी शिवकुमार ने स्वेच्छा से रमेश सोनी को चोट पहुंचाई थी, और इस तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अपराध कारित किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. डॉ. मनोज कुमार से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई क्योंकि उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद भी उन्हें नोटिस नहीं दिया जा सका। उन्हें न्यायालय द्वारा बार–बार बुलाया गया, जिस पर यह बताया गया कि वे ग्राम अर्जुनी से किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। यहां तक कि उन्हें कोलकाता के पते पर बुलाया गया था और एक प्रधान कांस्टेबल को भी विशेष सेवा के लिए भेजा गया था, लेकिन मनोज कुमार का पता नहीं लगाया जा सका और अभियोजन पक्ष द्वारा उनसे पूछताछ नहीं की जा सकी। हालांकि, मनोज कुमार की चोट की रिपोर्ट को डॉ. मिस के. गंगाजलीवाले (अ.सा.–14) द्वारा सिद्ध किया गया था, जिन्होंने प्रतिवेदन प्रदर्श.पी–30 के माध्यम से पाया था कि मनोज कुमार को बाएं घुटने, दाहिने हाथ की तीसरी उंगली और बाएं हाथ के पीछे चोट के निशान थे, इसके अलावा बाएं हाथ पर सूजन और कोमलता थी। रमेशचंद्र सोनी (अ.सा.–1), श्यामाबाई (अ.सा.–2) और हरिचरण सोनी (अ.सा.–3) ने भी अपनी गवाही में एक शब्द भी नहीं कहा है कि डॉ. मनोज कैसे और क्यों घायल हुए और घटना के समय वह क्या कर रहे थे। पेर्गियाबाई (अ.सा.–6) ने बयान दिया है कि दिनांक 30 जून, 1998 को सुबह लगभग 6 बजे जब वह अपने घर के सामने बर्तन साफ कर रही थी तो उसने देखा कि अपीलार्थी शिवकुमार, मनोज की पिटाई कर रहा था। यद्यपि उसने कहा की वह यह नहीं कह सकती किस हथियार से अपीलार्थी शिवकुमार मनोज को पीट रहा था। इस गवाह से न्यायालय की अनुमति से अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई और कहा गया कि उसने बताया था कि अपीलार्थी शिवकुमार ने लाठी से डॉ. मनोज पर हमला किया था। इस साक्षी की गवाही दिनांक 21–04–1999 को दर्ज की गई थी, जबकि रमेश सोनी की गवाही दिनांक 20–04–1999 को पहले ही दर्ज हो चुकी थी। प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया है कि वह उस दिन रमेश के साथ गवाही देने आई थी। हम पाते हैं कि परिगयाबाई की गवाही विश्वास पैदा करने में विफल रही, क्योंकि अगर उसने डॉ. मनोज और अपीलार्थी शिवकुमार के साथ घटना का पहला भाग देखा होता, तो उसे बाद के भाग के बारे में भी पता होता। वह निश्चित रूप से उस हथियार को जानती होगी जिससे अपीलार्थी शिवकुमार ने डॉ. मनोज पर हमला किया था। उपनिरीक्षक के. पी. बंजारे (अ.सा.–15) द्वारा तैयार किया गया घटनास्थल नक्शा प्रदर्श.पी–3 यह नहीं दर्शाता है कि इस गवाह का घर घटनास्थल के आसपास कहीं भी स्थित है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. उपनिरीक्षक के. पी. बंजारे ने दिनांक 30–06–1998 को प्रातः लगभग 10 बजे घटनास्थल से हीरो पुक क्रमांक एम.पी–24/ईएफ–6232 प्रदर्श.पी–5 जब्त किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि डॉ. मनोज निश्चित रूप से हीरो पुक से गिरे थे और उनके शरीर पर न तो कोई न घाव हुआ और न ही कोई खरोंच, केवल खरोंचें आई थीं। डॉ. मिस के. गंगजलीवाले (अ.सा.–14) अस्पताल ने अपने प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 में स्वीकार किया कि मनोज को लगी सभी चोटें मोपेड से गिरने के कारण हो सकती हैं। यदि अपीलकर्ताओ शिवकुमार ने वास्तव में डॉ. मनोज पर लाठी से बार–बार हमला किया था जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श.पी–18 में बताया गया है **"आज सुबह डॉ बढ़ाई जब स्नान कर घर वापस आ रहा था तब शिव कुमार ने उसे रोक लिया और उसे लाठी से खूब मारपीट कर रहा था"** तो डॉ. मनोज को निश्चित रूप से खरोंच, घाव और चोटें लगी होंगी, न कि केवल चोटें। इस परिप्रेक्ष्य में अभियोजन पक्ष द्वारा डॉ. मनोज से पूछताछ न किया जाना अभियोजन पक्ष के लिए घातक हो जाता है, जहां तक कि मनोज कुमार बढ़ाई के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 341 और 323 के तहत अपराध का संबंध है। रमेशचंद्र सोनी (अ.सा.–1), श्यामाबाई (अ.सा.–2) और हरिचरण सोनी (अ.सा.–3) की गवाही में पूरी घटना के दौरान घटनास्थल पर डॉ. मनोज की मौजूदगी के बारे में पूरी तरह से चुप्पी संदेह का तत्व पैदा करती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. इस प्रकार, हम पाते हैं कि डॉ. मनोज को गलत तरीके से रोकने और अपीलार्थी शिवकुमार द्वारा उन्हें चोट पहुँचाने के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 341 323 के तहत आरोप स्थापित नहीं किया गया है। जहाँ तक शेष अपिलार्थियो के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के साथ धारा 34 के तहत आरोप का सवाल है, अभियोजन पक्ष का ऐसा कोई मामला नहीं है कि शेष सभी अभियुक्तों/अपिलार्थियो ने डॉ. मनोज पर हमला करने का एक समान आशय बनाया था। अपीलार्थीगण् कन्हैया और विष्णु उस समय घटनास्थल पर नहीं थे। यहां तक कि पेर्गियाबाई (अ. सा.–6) ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। देहाती नालिशी प्रदर्श.पी–1 ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। इसलिए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी शिवकुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341 और 323 के तहत आरोप स्थापित करने में विफल रहा है और अपीलार्थीगण् कन्हैया और

विष्णु के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के साथ् धारा 34 के तहत सह–आरोपी के सामान्य आशय को आगे बढ़ाने में भाई मनोज को चोट पहुंचाने के संबंध में आरोप स्थापित करने में विफल रहा है।

20. हरिचरण सोनी (अ.सा.–3) मृतक का भाई है और श्यामाबाई (अ.सा.–2) का पुत्र तथा रमेश सोनी (अ.सा.–1) का भाई है। उसके द्वारा दर्ज देहाती नालिशी शिकायत के अनुसार वह उस समय मौके पर पहुंचा था जब मृतक श्यामाचरण और रमेश सोनी (अ.सा.–1) कथित तौर पर डॉ. मनोज के साथ अपीलार्थी शिवकुमार द्वारा किए जा रहे मारपीट के बीच हस्तक्षेप करने गए थे। देहाती नालिशी प्रदर्श.पी.1 में कहा गया है कि जब श्यामाचरण बीच–बचाव करने गया तो शिवकुमार ने उसे पीटना शुरू कर दिया। यह देखकर उसकी मां श्यामाबाई (अ.सा.–2) और भाई रमेश सोनी वहां पहुंचे, जिस पर अपीलार्थीगण् विष्णु और कन्हैया भी अपने घर से भागकर आए। रमेश सोनी (अ.सा.–1) ने अपनी गवाही में कहा है कि जब उसका बड़ा भाई श्यामाचरण बीच–बचाव करने गया तो अपीलार्थी शिवकुमार ने श्यामाचरण की कमर पर लाठी से वार किया, जिससे श्यामाचरण गिर गया। इस समय अपीलार्थीगण् विष्णु और कन्हैया तथा गवाह रमेश (अ.सा.–1) और श्यामाबाई (अ.सा.–2) घटनास्थल पर आए। रमेश सोनी की गवाही की पुष्टि श्यामबाई (अ.सा.–2) ने भी की है। श्यामाचरण की शव परीक्षा प्रतिवेदन प्रदर्श.पी–24 में भी उल्लेख किया गया है कि छाती के दाहिने हिस्से में सातवीं पसली के किनारे एक खरोंच थी, बाएं घुटने के अंदरूनी हिस्से पर एक खरोंच थी और बांह के पिछले हिस्से पर एक घाव था जिसमें खून जमा हुआ था। ये वे चोटें थीं जो मृतक को शिवकुमार द्वारा लाठी से किए गए हमले के कारण लगी होंगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

21. रमेश (अ.सा.–1) ने पैरा 5 में कहा है कि जब शिवकुमार ने श्यामाचरण पर लाठी से हमला किया और वह गिर पड़ा तो उसके तुरंत बाद अपीलार्थीगण् विष्णु और कन्हैया मौके पर आए और उसके बाद तीनों अपिलार्थियो यानि विष्णु, कन्हैया और शिवकुमार श्यामाचरण को राजू सोनी के घर की ओर खींच कर ले गए। यदि हम उप निरीक्षक के. पी. बंजारे (अ.सा.–15) द्वारा तैयार किए गए घटनास्थल के नक्शे को देखें तो हम पाते हैं कि यह कम से कम 150 गज की दूरी पर है। अपीलार्थी शिवकुमार अपनी

मां विमलाबाई को श्यामाचरण की हत्या करने के लिए तलवार लाने के लिए उकसा रहा था। श्यामाबाई (अ.सा.–2) ने भी रमेश सोनी (अ.सा.–1) की गवाही की पुष्टि की है। हालाँकि, उपरोक्त गवाही महज़ अतिशयोक्ति प्रतीत होती है क्योंकि हरिचरण द्वारा दर्ज देहाती नालिशी प्रदर्श.पी–1 में यह नहीं कहा गया कि श्यामाचरण को तीनों अपराधियों ने राजू सोनी के घर की ओर लगभग 150 गज तक घसीटा। ि◌चिकत्सा साक्ष्य भी इसकी पुष्टि नहीं करते। देहाती नालिशी में यह भी उल्लेख नहीं है कि अपीलार्थी शिवकुमार ने अपनी माँ या अन्य अपिलार्थियो को श्यामाचरण को मारने के लिए तलवार लाने के लिए उकसाया था।

22. हालांकि, रमेशचंद (अ.सा.–1), श्यामाबाई (अ.सा.–2) और हरिचरण सोनी (अ.सा.–3) की पूरी तरह से पुष्ट गवाही से यह सामने आया है कि तीनों अपीलार्थी घटनास्थल पर एक साथ इकट्ठे हुए थे, अपीलार्थी विष्णु एक कैंची पकड़े हुए था और अपीलार्थी कन्हैया एक लोहे की छड़ (पाइप) पकड़े हुए था। राजू के घर के पास विष्णु, कन्हैया और शिवकुमार की मौजूदगी, जहां श्यामाचरण पर अपीलार्थी शिवकुमार द्वारा लाठी से अकेले हमला करने के बाद हमला किया गया था, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपीलार्थीगण् विष्णु, कन्हैया और शिवकुमार घटनास्थल पर मौजूद थे और क्रमशः कैंची, लोहे की छड़ (पाइप) और लाठी से लैस थे। देहाती नलिशी (प्रदर्श.पी–1) जो घटना के तुरंत बाद दर्ज किया गया था, उस आशय की पुष्टि अभियोजन साक्षी 1, 2 और 3 की गवाही की पूरी तरह से करता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

23. अभियोजन पक्ष ने कृष्ण कुमार और कुंवरिया बाई से पूछताछ नहीं की, जिन्हें देहाती नालिशी (प्रदर्श.पी–1) में हरिचरण सोनी (अ.सा.–3) द्वारा चक्षुदर्शी के रूप में नामित किया गया था। इन दोनों गवाहों को सहायक लोक अभियोजक ने दिनांक 20–04–1999 को छोड़ दिया क्योंकि इससे केवल साक्ष्य की पुनरावृत्ति होगी। विचारण न्यायालय ने भी इन गवाहों की परीक्षण किया पर जोर नहीं दिया। हम इस प्रथा को दृढ़ता से अस्वीकार करते हैं, क्योंकि चक्षुदर्शियों के परीक्षण पर जोर देना विचारण न्यायालय का कर्तव्य है। हालांकि, घटनास्थल पर रमेशचंद सोनी (अ.सा.–1), श्यामाबाई (अ.सा.–2) और हरिचरण सोनी (अ.सा.–3) की मौजूदगी पर संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन गवाहों को भी घटना के दौरान चोटें आई थीं, जबकि अपिलार्थियो शिवकुमार और विष्णु के शरीर पर कोई चोट नहीं

पाई गई। डॉ. के. के. रामटेके (अ.सा.–2) जिन्होंने दिनांक 02–07–1998 को अपिलार्थियो शिवकुमार और विष्णु की चिकित्सकीय परीक्षण किया थी, उन्हें इन दोनों अपिलार्थियो पर कोई बाहरी चोट नहीं मिली। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि अपीलार्थी कन्हैया को घटना के दौरान कोई चोट लगी थी या रमेश (अ.सा.–1), श्यामाबाई (अ.सा.–2) और हरिचरण सोनी (अ.सा.–3) घटना के दौरान हथियारबंद थे या उन्होंने अपिलार्थियो पर हमला किया था।

24. श्यामाबाई (अ.सा.–2) ने कहा है कि रमेश सोनी को यह देखने के लिए भेजने के बाद कि क्या हो रहा है, वह अपने दूसरे बेटे हरिचरण को जगाने के लिए घर के अंदर चली गई थी। इस बातचीत में कुछ समय व्यतीत हुआ होगा। हरिचरण (अ.सा.–3) ने भी शिवकुमार द्वारा मनोज या श्यामचरण पर हमला होते देखने के बारे में नहीं बताया है, लेकिन उसने कहा है कि जब वह घर से बाहर आया तो उसने देखा कि अपीलार्थीगण् शिवकुमार, कन्हैया, विष्णु और श्यामचरण पर क्रमशः लाठी, छड़ और कैंची से हमला कर रहे थे। जहां तक इन गवाहों की गवाही का सवाल है, हमने उसका बारीकी से अध्ययन किया है और पाया है कि इसकी पुष्टि न केवल घटना के तुरंत बाद दर्ज देहाती नालिशी (प्रदर्श.पी–1) से होती है, बल्कि श्यामाचरण की शव परीक्षा प्रतिवेदन से भी होती है, जिसमें श्यामाचरण को न केवल दो गहरी चोटें लगी थीं। एक छाती के दाहिने हिस्से पर और दूसरी बाएं ऊपरी बांह पर, बल्कि उसके दाहिने टखने पर चोट, खरोंच और कटा हुआ घाव भी था। हालाँकि, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि अपीलार्थी कन्हैया और विष्णु ने अपीलार्थी शिवकुमार के साथ श्यामाचरण की हत्या करने का समान आशय बनाया था। जहां तक अपीलार्थी शिवकुमार का सवाल है, केवल इतना ही साक्ष्य है कि उसने घटनास्थल पर अपिलार्थियो कन्हैया और विष्णु के पहुंचने से पहले श्यामाचरण पर कमर के पास लाठी से हमला किया था। इस बात का कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है कि शिवकुमार ने अन्य अपिलार्थियो कन्हैया और विष्णु को श्यामाचरण की हत्या के लिए उकसाया था। रमेश सोनी (अ.सा.–1) ने पैराग्राफ 5 में केवल इतना कहा है कि शिवकुमार अपनी मां विमलाबाई, जो दोषमुक्त हो चुकी अभियुक्त है, से चिल्लाकर कह रहा था कि "तलवारें लाओ और उन्हें मार डालो"। इसके अलावा गवाही का यह हिस्सा विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि यह प्रथम सूचना रिपोर्ट और देहाती नालिशी (प्रदर्श.पी–1) में

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

नहीं पाया जाता है और इस पर हम पहले ही ऊपर चर्चा कर चुके हैं। यह गवाही कि श्यामाचरण को तीनों अभियुक्तों ने राजू सोनी के घर की ओर घसीटा था, भी अविश्वसनीय है, क्योंकि न तो हमें देहाती नालिशी प्रदर्श.पी–1 में इस तथ्य का उल्लेख मिलता है, न ही शव परीक्षा प्रतिवेदन प्रदर्श.पी–24 में इसकी पुष्टि होती है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें तीनों अभियुक्त घातक हथियारों से लैस होकर मृतक की प्रतीक्षा में बैठे थे और एक साथ उस पर हमला किया था। हम पाते हैं कि अपीलार्थी विष्णु घटनास्थल की ओर भागा था जब उसने देखा कि रमेश सोनी, श्यामाचरण को बचाने के लिए आया था और उसके हाथ में कैंची थी। लेकिन, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि अपिलार्थियो कन्हैया और शिवकुमार ने भी श्यामाचरण की हत्या करने का एक समान आशय बनाया था। श्यामाचरण को केवल एक ही चोट लगी थी, जो शिवकुमार के कारण लगी थी, जबकि वह अकेले थे, तथा श्यामाचरण को बाएं घुटने पर केवल एक खरोंच तथा कोहनी के जोड़ पर एक घाव था, जो किसी कठोर व कुंद वस्तु से हो सकता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. हालांकि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से पता चलता है कि अपीलार्थी शिवकुमार लाठी से लैस था और कन्हैया लोहे की पाइप से। हम राज्य के विद्वान अधिवक्ता के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं कि अपिलार्थियो शिवकुमार और कन्हैया ने अपीलार्थी विष्णु के साथ मिलकर श्यामाचरण की हत्या करने का एक समान आशय बनाया था, और इसके लिए अपीलार्थी विष्णु ने श्यामाचरण की हत्या की। अपिलार्थियो शिवकुमार और कन्हैया से जब्त कपड़ों पर खून जैसे कोई दाग नहीं पाए गए हैं, जबकि अपीलार्थी विष्णु प्रदर्श.पी–14 से जब्त बनियान और कैंची पर ही खून के धब्बे की पुष्टि हुई है।

26. जहां तक रमेश सोनी (अ.सा.–1), श्यामाबाई (अ.सा.–2) और हरिचरण सोनी (अ.सा.–3) की गवाही का सवाल है कि अपीलार्थी विष्णु ने श्यामाचरण की छाती पर चाकू घोप दिया था, जिससे उसके दिल के ऊपरी दाहिने हिस्से में गहरा घाव हो गया था, यह विश्वसनीय है। इसके बाद, विष्णु ने रमेश की छाती और शरीर के अन्य हिस्सों पर बार–बार चोटें पहुंचाईं और जब श्यामाबाई ने रमेश सोनी को कैंची के दूसरे वार से बचाने के लिए उसे ढकने की कोशिश की, तो अपीलार्थी विष्णु के हाथों उसके सिर पर भी कैंची से वार किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी विष्णु जानलेवा क्रोध में था

और श्यामाचरण की छाती पर चाकू से वार करने के बाद उसने श्यामाचरण पर बार–बार हमला किया और रमेश सोनी की छाती और दोनों पैरों पर कैंची से वार किया। इसके बाद जब उसने रमेश सोनी पर दूसरा वार किया तो श्यामाबाई (अ.सा.–2) ने उसे बचाने के लिए रमेश को ढक लिया, जिसके बाद अपीलार्थी विष्णु द्वारा किया गया कैंची का वार श्यामाबाई के सिर पर लगा। रमेश सोनी (अ.सा.–1), श्यामाबाई (अ.सा.–2) और हरिचरण सोनी (अ.सा.–3) की गवाही डॉ. वाई.के. तिवारी (अ. सा.–18) के चिकित्सा साक्ष्य से पूरी तरह से पुष्ट होती है, जिन्होंने रिपोर्ट प्रदर्श.पी–39 के अनुसार रमेश की छाती के बाईं ओर एक चीरा हुआ घाव, दो चीरे हुए घाव, एक बाएं पैर पर और एक दाहिने पैर पर, और रमेश सोनी की बाईं जांघ पर एक चीरा हुआ घाव पाया था, जो उनकी राय में एक गंभीर चोट थी,। इसी तरह उन्होंने श्यामाबाई के सिर के दाहिने पार्श्व भाग पर एक चीरा हुआ घाव पाया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. हमने उपरोक्त अनुच्छेदों में इन चोटों पर विचार किया है, हमने रमेश सोनी (अ.सा.–1), श्यामाबाई (अ.सा.–2) और हरिचरण सोनी (अ.सा.–3) की गवाही पर विचार किया है, साथ ही डॉ. वाई. के. तिवारी (अ.सा.–18) के चिकित्सा साक्ष्य और डॉ. हरीश कुमार जोशी (अ.सा.–9) द्वारा गवाही दी गई श्यामाचरण की शव परीक्षा प्रतिवेदन पर भी विचार किया है, और हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह पूरी तरह से स्थापित है कि जब अपीलार्थी विष्णु घटनास्थल पर आया था तो वह हत्या करने की फिराक में था और उस गुस्से में उसने श्यामाचरण की छाती पर कैंची से घातक वार किया था और फिर रमेश सोनी की छाती के बाईं ओर कैंची से दूसरा वार किया था, जो डॉ. वाई. के. तिवारी (अ.सा.–18) की राय में महत्वपूर्ण भाग के शामिल होने को देखते हुए एक गंभीर चोट थी। अपीलार्थी विष्णु द्वारा रमेश सोनी पर कैंची से किए गए अन्य घाव, रमेश सोनी की छाती के बायीं ओर के घाव के साथ संयुक्त रूप से लिए गए, इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ते कि अपीलार्थी विष्णु का आशय रमेश सोनी को मारने का भी था और इस आशय से उसने रमेश सोनी पर कैंची से कई घाव किए थे, जिनमें से एक घाव छाती के बायीं ओर था, जो एक गंभीर चोट थी। श्यामाचरण द्वारा पहुँचाई गई चोटों की प्रकृति और छाती पर किए गए भेदक घाव, जो हृदय के बाएं ऊपरी कक्ष में घुस गया था, को ध्यान में रखते हुए यह पता चलता है कि अपीलार्थी विष्णु का न केवल श्यामाचरण की हत्या करने का आशय था,

बल्कि वह यह भी जानता था कि चोट से उसकी मृत्यु हो सकती है। इसी प्रकार, अपीलार्थी विष्णु द्वारा रमेश सोनी को पहुँचाई गई चोटों से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि उसका आशय रमेश सोनी को मारने का था, क्योंकि उसने सीने के बायीं ओर 1" x l" x 1/2" आकार का एक घाव किया था जो गंभीर चोट थी और रमेश सोनी के शरीर पर तीन और घाव थे। इस प्रकार, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष ने श्यामाचरण की हत्या कारित करने के लिए अपीलार्थी विष्णु के खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 302 के तहत आरोप स्थापित किया है, और सभी युक्तियुक्त संदेह से परे रमेश की हत्या करने का प्रयास करने के लिए अपीलार्थी विष्णु के खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 307 के तहत भी आरोप स्थापित किया है। अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे यह भी सिद्ध कर दिया है कि अपीलार्थी विष्णु ने श्यामाबाई को कैंची से तब घायल किया था जब उसने रमेश चंद्र सोनी को ढकने की कोशिश की थी। इस प्रकार, अपीलार्थी विष्णु के खिलाफ़ भारतीय दंड संिहता धारा 324 के तहत कैंची से श्यामाबाई को स्वेच्छा से चोट पहुँचाने का आरोप भी संदेह से परे पूरी तरह से स्थापित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. जहां तक अपिलार्थियो शिवकुमार और कन्हैया द्वारा रमेश और श्यामाबाई पर लाठी और छड़ से हमला करने का सवाल है, रमेश (अ.सा.–1), श्यामाबाई (अ.सा.–2) हरिचरण सोनी (अ.सा.–3) की गवाही विश्वास पैदा करने में विफल रही, क्योंकि न तो रमेश और न ही श्यामाबाई को कोई ऐसी चोट लगी थी जो लाठी या लोहे की छड़ या पाइप से लगी हो। श्यामाबाई के सिर पर सिर्फ़ एक घाव था और उसके शरीर पर कोई और चोट नहीं पाई गई। इसी तरह, रमेश को भी चार घाव मिले थे और हाथ पर एक बहुत ही मामूली खरोंच थी, जो गिरने की वजह से हो सकती है। इस प्रकार, अपिलार्थियो शिवकुमार और कन्हैया द्वारा अपीलार्थी विष्णु या शिवकुमार के साथ समान आशय को आगे बढ़ाते हुए रमेश और श्यामाबाई पर हमला करने से संबंधित गवाही विश्वास पैदा करने में विफल रही। चिकित्सा साक्ष्य स्पष्ट रूप से अपिलार्थियो शिवकुमार और कन्हैया द्वारा रमेश और श्यामाबाई पर लाठी या लोहे की छड़ से किसी भी हमले को नकारते हैं। यह हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को भी समर्थन देता है कि अपिलार्थियो कन्हैया और शिवकुमार ने अपीलार्थी विष्णु के साथ श्यामाचरण या रमेश सोनी की हत्या करने का कोई समान आशय नहीं किया था। उपरोक्त दृष्टिकोण से अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में

विफल रहा है कि अपिलार्थियो कन्हैया और शिवकुमार श्यामाचरण की हत्या करने और उसकी हत्या करने के आशय से रमेश सोनी पर हमला करने के लिए अपीलार्थी विष्णु के साथ समान आशय कर रहे थे। इसलिए, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विष्णु के साथ समान आशय को आगे बढ़ाते हुए श्यामाचरण की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ धारा 34 के तहत आरोप, और अपीलार्थी विष्णु के साथ आशय को आगे बढ़ाते हुए रमेश की हत्या करने की कोशिश करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के साथ धारा 34 के तहत आरोप अपीलार्थी कन्हैया और शिवकुमार के खिलाफ संदेह से परे सिद्ध नहीं होते हैं। यह भी संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ है कि अपीलार्थी कन्हैया और शिवकुमार ने चाकू से श्यामाबाई पर हमला करने में विष्णु के साथ समान आशय किया था और इस प्रकार शिवकुमार और कन्हैया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के साथ धारा 34 के तहत आरोप भी सिद्ध नहीं होते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. अंतिम विश्लेषण में, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है:

क. अपीलार्थी विष्णु को श्यामाचरण की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत, रमेश की हत्या करने का प्रयास करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत तथा श्यामाबाई को धारदार हथियार यानी कैंची से चोट पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत दोषसिद्धि तथा उसके तहत दी गई सजा बरकरार रखी गई। अपीलार्थी विष्णु को अन्य अभियुक्तों/अपिलार्थियो के सामान्य आशय के तहत डॉ. मनोज कुमार को स्वेच्छा से साधारण चोट पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के साथ् धारा 34 के तहत आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

ख. श्यामाचरन की हत्या कारित करने के लिए अपीलार्थी विष्णु के साथ समान आशय करने के लिए धारा 302 के साथ् धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपिलार्थियो शिवकुमार और कन्हैया की दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है और दोनों को धारा 302 के साथ् धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। इसी तरह, दोनों अपिलार्थियो शिवकुमार और कन्हैया

को रमेश सोनी की हत्या करने के लिए अपीलार्थी विष्णु के साथ समान आशय बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता धारा 307 के साथ् धारा 34 के तहत आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। शिवकुमार और कन्हैया दोनों को कैंची के माध्यम से श्यामाबाई को चोट पहुंचाने के लिए अपीलार्थी विष्णु के साथ समान आशय बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता धारा 324 के साथ् धारा 34 के तहत आरोप से भी दोषमुक्त किया जाता है। अपिलार्थियो शिवकुमार और कन्हैया को भारतीय दंड संहिता धारा 323 के तहत दोषी ठहराया जाता है। श्यामाचरण को चोट पहुंचाने के लिए एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई, जुर्माना न चुकाए जाने के व्यतिक्रम पर तीन महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

ग. डॉ. मनोज को गलत तरीके से रोकने और डॉ. मनोज और रमेश सोनी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता धारा 341 और 323 के तहत अपीलार्थी शिवकुमार को दोषी ठहराया गया और इसके तहत दी गई सजा को अपास्त कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

घ. अपिलार्थियो को न्यायिक या पुलिस अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को या विचारण के दौरान प्रदान की गई सजा को दंड प्रक्रिया संहिता धारा 428 के तहत समायोजित किया जावेगा ।

एसडी/–
एल.सी.भाडू
न्यायाधीश

एसडी/–
दिलीप आर. देशमुखम,
न्यायाधीश

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।